भारत सरकार
पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 1020
02.12.2024 को उत्तर के लिए

आवारा पशुओं को पुनः वन में छोड़ना

1020. श्री सुकान्त कुमार पाणिग्रहीः
क्या **पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार ओडिशा में पशु कल्याण के लिए मानवीय और सतत् समाधान प्रदान करने और जैव-विविधता तथा पारिस्थितिकी तंत्र संतुलन में वृद्धि करने के उद्देश्य से उपयुक्त वन्यजीव अभयारण्यों में आवरा पशुओं को पुनः वन में छोड़ने की व्यवहर्यता का पता लगा रही है;

(ख) क्या सरकार पशुओं को पुनः वन में छोड़ने संबंधी कार्यक्रम विकसित करने के लिए पशु कल्याण संगठनों और वन्य जीव विशेषज्ञों के साथ सहयोग करने पर विचार कर रही है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा ओडिशा राज्य में अभयारण्य अवसंरचना और पशुओं की देखभाल के लिए निधि प्रदान करने के लिए क्या कदम उठाए जाने का विचार है?

उत्तर

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन राज्य मंत्री
(श्री कीर्तवर्धन सिंह)

(क),(ख) और (ग) ओडिशा सरकार से प्राप्त सूचना के अनुसार, ओडिशा वन्यजीव अभयारण्यों में आवरा पशुओं को पुनः वन में छोड़ने के संबंध में कोई विशिष्ट प्रस्ताव नहीं है। बचाए गए वन्यपशुओं को राज्य के विभिन्न उपचार/पशुदेखभाल केन्द्रों में उपचार के लिए रखा जाता है और उपयुक्त पाए गए पशुओं को उनके प्राकृतिक पर्यावासों में छोड़ दिया जाता है।

वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 में वन्यजीवों के वैज्ञानिक प्रबंधन के भाग के रूप में वन्यजीवों को पकड़ने और वैकल्पिक उपयुक्त पर्यावासों में उन्हें स्थातांरित करने की शक्तियाँ मुख्य वन्यजीव वार्डन को प्रदान की गई है।

यह मंत्रालय, ओडिशा राज्य सहित, राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को वन्यजीवों के संरक्षण और सुरक्षा के लिए केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम 'बाघ और हाथी परियोजना' और 'वन्यजीव पर्यावासों का विकास' के तहत वित्तीय सहायता प्रदान करता है। राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के मुख्य वन्जी वार्डन द्वारा प्रस्तुत वार्षिक प्रचालन योजना के आधार पर निधियां जारी की जाती हैं।

*****